

तारीख
हुकम

नम्बर
अहक
हुकम
में



अर्जीदावा अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काश्त0 अधि0

20
20

Resolute Report
20/09/2020

अदालत ए सी साहब
हनुमानगढ

शान्ती उर्फ विद्या देवी पत्नी रामप्रताप जाति कुम्हार निवासी
हनुमानगढ

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ

दावा बाबत घोषणा

श्रीमानजी,

वाद वादीया निम्न प्रकार से

- 1- यह कि मुझ वादीया का डाक का पता उपरोक्त शी
- 2- यह कि मुझ वादीया के नाम संयुक्त खाता मे वाके मे 0.822 है0 मे 1/5 हिस्सा व चक नं0 10 एम डी सी संयु कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है नकल जमाबंदी वाके चक 1 2076-79 व चक10 एम डी सी खाता संख्या 13/10 सम्वत 2
- 3- यह कि मुझ वादीया का नाम शान्ती पत्नी रामप्र वादीया का नाम विद्यादेवी पत्नी रामप्रताप दर्ज हो गया है जि भूमि के पूर्ण उपयोग व उपभोग करने मे परेशानी होती है त आधार कार्ड भामाशाह कार्ड सभी मे वादीया का नाम शान्ती प मे वादीया का नाम विद्यादेवी पत्नी रामप्रताप है तथा वादी कागजात आने बनाने मे परेशानी होती है एवं मुझ वादीया के पडता है अतः वादी-घोषणा इस अमर की प्राप्त करने का अधि संख्या 16/15 नं0 10 एम डी सी संयुक्त खाता सं के स्थान पर शान्ती उर्फ विद्या देवी पत्नी रामप्रताप अंकित कि

न/3/24
 वादिगा उपरिखत आई पठावली
 अवलोकन किया गया जिसमे पाया कि
 वाडिया ने समान अनुलोष रक अन्ध
 वाड पत्र नं. 236/2020 दापर कर
 रखा है उक्त वाड पत्र में मौका
 रिपोर्ट तहसीलदार प्राल ए चुकी
 है इसलिये उक्त वाड पत्र में आज
 डिक्री की गई। हस्तगत पुस्तक
 इस आधार पर खारिज किया जाता है
 कि वादिगा का मुलाविक अनुलोष
 वाड पत्र नं. 236/2022 अनवानी
 शान्तिदेवी उर्फ विद्या देवी बनाम
 है में प्रकान किया जा चुका है
 पठावली वादिष दफ्तर की जाती है।

Alup

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

शान्ति